राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)(78)राछा/सान्याअवि/22/15637 जयपुर, दिनाक 25.07/2022

संशोधित आदेश

विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावासों में आवासरत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु गणित, विज्ञान एवं अग्रेजी कठिन विषयों हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी की सेवाऐं लिये जाने हेतु विभागीय समसख्यक आदेश क्रमांक 7823 दिनांक 20.07.2021 एवं दिनांक 26.11.2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्तानुसार जारी आदेशों में एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्र.सं.	वर्तमान दिशा–निर्देश एव संचालित प्रक्रिया	संशोधित दिशा–निर्देश
1	विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में गणित, विज्ञान एव अग्रेजी कठिन विषयो हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी की सेवाऐ माह 01 दिसम्बर से प्रारम्भ की जावेगी	विद्यालय स्तरीय छात्रावासो मे गणित विज्ञान एव अंग्रेजी जैसे किसी एक कठिन विषय मे विषय विशेषज्ञ को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लिया जावेगा।
2	कक्षा 9 से 10 हेतु अधिकतम 350/– रुपये प्रति घण्टा तथा कक्षा 11 से 12 हेतु अधिकतम 400/– प्रति घण्टा भुगतान किया जा सकेगा। (रविवार के अवकाश में देय नही)	छात्रावासों में विद्या संबल योजनान्तगत द्वितीय श्रेणी के पात्रताधारी गेस्ट फैकल्टी की सेवाऐं 01 अगस्त से तथा प्रथम श्रेणी के पात्रताधारी गैस्ट फैकल्टी की सेवाऐं 01 सितम्बर से प्रारम्भ की जावेगी तथा शैक्षणिक सत्र में द्वितीय श्रेणी के पात्रताधारी की सेवाऐं अधिकतम 8 माह के लिए और प्रथम श्रेणी के पात्रताधारी की सेवाऐं 07 माह के लिए रखी जावेगी। पारिश्रमिक का भुगतान 75000/– प्रति छात्रावास प्रति शैक्षणिक सत्र से अधिक नही होगा।
3	छात्रावास में कोचिंग का समय सांयकाल 5.30 बजे से 7.30 बजे तक रखा जावेगा।	i. छात्रावास में गैस्ट फैकल्टी का समय सांयकाल 6.00 बजे से 7.00 बजे तक रखा जावेगा। ii. विषयवार गैस्ट फैकल्टी न रखकर, प्रत्येक छात्रावास में 01 गेस्ट फैकल्टी रखी जावेगी। गेस्ट फैकल्टी द्वारा सभी कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के गृह कार्य को कराने में सहयोग किया जावेगा तथा प्रत्येक छात्र/छात्रा की प्रगति एवं आचरण रिपोर्ट का संधारण किया जाकर छात्रावास अधीक्षक को साप्ताहिक प्रस्तुत किया जावेगा। iii. राजकीय बालिका छात्रावासों में गैस्ट फैकल्टी के चयन में प्रथम वरीयता महिला आवेदक को दी जावेगी।

उपरोक्तानुसार विद्या संबल योजनान्तर्गत विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्राबासों में गैस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु उक्तानुसार संशोधन किया जाता है। योजनान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 7823 दिनांक 20.07.2021 एवं दिनांक 26.11.2021 द्वारा पूर्व में जारी शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

E:\Letter.docx 1148

क्रमांक : एफ7 1(2)(78)राछा / सान्याअवि / 22 / 15638-15788 [redacted] जयपुर, दिनांक 25/7/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त।
6. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
7. उप निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वैब साईट पर अपलोड करावें।
8. सहायक निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
9. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समस्त।
10. आदेश पत्रावली।

(लोकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

E:\Letter.docx 1149